RAJYA SABHA

Wednesday, the 8th August, 1984/ 17 Sravana, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Deputy Chairman** in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चावल, तेल आदि के सम्बन्ध में राज्यों की आवश्यकताएं

***241. श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयुबबेग :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 के वर्ष के लिये चावल, खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, सीमेंट और नियंत्रित कपड़े [illegible] संबंध में राज्यों से प्राप्त हुई मांग [illegible] क्या है;

(ख) उन्हें ये वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में आवंटित की गई ;

(ग) क्या सरकार को गुजरात सहित राज्यों से इन वस्तुओं की अतिरिक्त सप्लाई के लिये आवेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा 'आजाद') : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के लिए चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, सीमेंट तथा कंट्रोल के कपड़े का आवंटन व मांग क्रमश: अनुपत्र 1, 2, 3, 4 और 5 में दी गई है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से समय-समय पर चावल, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल तथा सीमेंट की अतिरिक्त मांग के अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं और उन पर केन्द्रीय सरकार के पास इन वस्तुओं की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

चावल :

विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिनमें गुजरात शामिल है, को चावल का आवंटन मासिक आधार पर किया जाता है और ऐसा करते समय केन्द्रीय पूल में भण्डारों की समग्र उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक मांग, बाजार में उपलब्ध मात्रा तथा अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है। ये आवंटन खुले बाजार में उपलब्ध मात्रा के केवल अनुपूरक होते हैं। गुजरात प्रति मास 25,000 मी०टन चावल की मांग करता रहा है। इस मांग के प्रति उन्हें जनवरी से जून, 1984 तक 7.5 हजार मी० टन की दर से चावल आवंटित किया जाता रहा है। जून, 1984 में उन्होंने अनुरोध किया था कि उनका चावल का मासिक कोटा बढ़ा कर कम से कम 15,000 मी० टन कर दिया जाए। चावल के भंडार की कठिन स्थिति के कारण गुजरात सरकार को सलाह दी गयी है कि राष्ट्र के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए वे चावल के बजाय अधिक गेहूं ले लें।

खाद्य तेल :

चालू तेल वर्ष (नवम्बर, 1983 से अक्तूबर, 1984) के लिए गुजरात सरकार ने समूचे वर्ष के लिए आयातित खाद्य तेलों की अपनी आवश्यकता 1,04,000 मी०टन सूचित की है। इस आवश्यकता तथा अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने नवम्बर, 1983 से अगस्त 1984 तक की अवधि के लिए खाद्य तेलों की कुल 57,300 मी० टन मात्रा आवंटि

की है। गुजरात का आवंटन मई व जून, 1984 में किये गये 5000 मी० टन की तुलना में जुलाई, 1984 में बढ़ाकर 7000 मी० टन कर दिया गया है।

मिट्टी का तेल :

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का आकलन, चार महीने के ब्लाक के आधार पर, उनके द्वारा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की गई बक्री/उन्हें किए गए आवंटन पर 5 प्रतिशत वृद्धि करके किया जाता है। इस आधार पर वर्ष 1983-84 में गुजरात सरकार को कुल 5,13,400 मी० टन का आवंटन किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों, जिनमें गुजरात शामिल है, ने मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध किया था। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को आवंटन उपर्युक्त मौजूदा नीति के अनुसार किया जा रहा है।

सीमेंट :

भारत सरकार राज्य सरकारों से उनकी सीमेंट की मांग के बारे में सूचना नहीं मंगवाती है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को, पिछली खपत के रुख तथा संबंधित तिमाही में सीमेंट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सीमेंट का आवंटन करती है। तथापि वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से, आवश्यकताएं बढ़ने के कारण, अतिरिक्त आवंटन करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इस पूर्वानुमान पर कि सीमेंट अधिक मात्रा में उपलब्ध होगा, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिनमें गुजरात राज्य शामिल है, को किये जाने वाले आवंटन में वित्तीय वर्ष 1983-84 के आरंभ से लगभग 7 प्रतिशत की एक-समान वृद्धि की गई। परिणामस्वरूप गुजरात को किया जाने वाला आवंटन, जो 1982-83 में 4,89,600 मी० टन, प्रतिवर्ष से 1983-84 में बढ़ाकर 5,23,600 मी० टन प्रतिवर्ष कर दिया गया। इन आंकड़ों में सिंचाई तथा बिजली क्षेत्र शामिल नहीं हैं। गुजरात सरकार ने भारत सरकार से बाढ़ राहत कार्यों के लिए 1,90,000 मी० टन अतिरिक्त तदर्थ आवंटन करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार करने पर उन्हें 1983-84 के दौरान 5,23,600 मी० टन की मात्रा के अतिरिक्त 55,000 मी० टन का अतिरिक्त का तदर्थ आवंटन किया गया।

कंट्रोल का कपड़ा :

हरियाणा और मेघालय राज्यों को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य जिसमें गुजरात शामिल है, ने कंट्रोल के कपड़े की अतिरिक्त मात्रा देने का अनुरोध नहीं किया था। कंट्रोल के कपड़े का सीमित लक्ष्य होने के कारण तथा साथ ही जनसंख्या के आधार पर आवंटन किये जाने के कारण हरियाणा तथा मेघालय का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका। राज्यों को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

अनुपत्र—1

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक चावल की मांग और उनका आवंटन दर्शाने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

1	2	3	4
क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मांग	आवंटन
1.	आन्ध्र प्रदेश . . .	1896.0	1175.0

(लाख मीट रीटन में)

1	2	3	4
2.	असम	600.0	265.0
3.	बिहार	600.0	230.0
4.	गुजरात	500.0	90.0
5.	हरियाणा	37.7	24.9
6.	हिमाचल प्रदेश	79.1	30.0
7.	जम्मू और कश्मीर	249.0	144.0
8.	कर्णाटक	480.0	210.0
9.	केरल	1630.0	1350.0
10.	मध्य प्रदेश	960.0	245.0
11.	महाराष्ट्र	900.0	300.0
12.	मणिपुर	45.0	36.0
13.	मेघालय	106.8	78.0
14.	नागालैण्ड	60.0	47.0
15.	उड़ीसा	402.0	167.0
16.	पंजाब	17.7	6.0
17.	राजस्थान	24.0	12.0
18.	सिक्किम	43.0	42.0
19.	तमिलनाडू	1160.0	355.0
20.	त्रिपुरा	122.0	89.5
21.	उत्तर प्रदेश	1125.0	300.0
22.	पश्चिम बंगाल	2400.0	1320.0
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12.3	12.3
24.	अरुणाचल प्रदेश	42.2	38.83
25.	चण्डीगढ़	3.6	2.65
26.	दादरा व नागर हवेली	1.28	1.04
27.	दिल्ली	350.0	180.0
28.	गोवा, दमण और दीव	46.42	36.0
29.	पाण्डिचेरी	36.0	23.0
30.	मिजोरम	111.8	70.0
31.	लक्षद्वीप	5.5	5.5
	योग (समस्त भारत) :	14,146.4	6,885.72

अनुपत्र—2

चालू तेल वर्ष 1983-84 (आवंटन नवम्बर, 83 से अगस्त, 84 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राज्य राज्य/संघ पाज्यक्षेत्रों को किए गए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा दर्शाने वाला विवरण

(मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1983-84 के लिये मांग (नव०-अक्टूबर, 84)	अगस्त, 1984 तक आवंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,62,000	81,700
2.	असम	30,800	10,500
3.	बिहार	60,000	13,400
4.	गुजरात	1,04,000	57,500
5.	हरियाणा	30,000	9,600
6.	हिमाचल प्रदेश	24,000	9,350
7.	जम्मू और कश्मीर	28,800	4,710
8.	कर्णाटक	95,000	40,800
9.	केरल	47,000	53,850
10.	मध्य प्रदेश	60,000	32,000
11.	महाराष्ट्र	1,48,000	1,26,500
12.	मणिपुर	4,200	6,450
13,	मेघालय	9,000	5,995
14.	नागालैण्ड	12,000	4,400
15.	उडीसा	96,000	29,500
16.	पंजाब	48,000	20,090
17.	राजस्थान	30,000	9,900
18.	सिक्किम	4,800	2,100
19.	तमिलनाडू	1,50,000	76,000
20.	त्रिपुरा	1,200	1,200
21.	उत्तर प्रदेश	1,05,600	38,980

1	2	3	4
22.	पश्चिम बंगाल	1,26,000	1,08,500
23.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	360	560
25.	चण्डीगढ़	420	395
26.	दादरा व नागर हवेली	240	260
27.	दिल्ली	70,800	24,100
28.	गोआ, दमण और द्वीव	4,800	4,450
29.	लक्षद्वीप	126	145
30.	मिजोरम	2,400	2,450
31.	पाण्डिचेरी	3,600	2,410
	योग (समस्त भारत) :	14,59,146	7,77,625

अनुपत्र—3

1983-84 के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आबंटन और बिक्री

(आंकड़े मीटर टन में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1983-84	
		आबंटन	बिक्री
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	3,96,070	3,95,507
2.	अरुणाचल प्रदेश	6,150	5,175
3.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2,100	1,456
4.	असम	1,65,600	1,56,766
5.	बिहार	2,80,010	2,75,733
5.	चण्डीगढ़	13,610	13,501
7.	दादरा व नागर हवेली	1,900	*
8.	दिल्ली	1,61,187	1,56,502

*बिक्री गुजरात में हुई बिक्री में शामिल कर ली गई है ।

1	2	3	4
9.	गुजरात	5,14,300	5,17,319
10.	गोआ, दमण और द्वीव . . .	20,300	17,048
11.	हरियाणा	1,03,534	1,01,993
12.	हिमाचल प्रदेश	22,890	21,185
13.	जम्मू और कश्मीर . . .	43,080	45,090
14.	कर्णाटक	2,95,300	2,87,777
15.	केरल	1,62,400	1,57,161
16.	मध्य प्रदेश	2,39,720	2,37,899
17.	महाराष्ट्र	9,90,386	9,77,056
18.	मणिपुर	14,250	12,744
19.	मेघालय	10,090	9,965
20.	मिजोरम	3,920	3,414
21.	नागालैंड	6,220	6,316
22.	उड़ीसा	93,770	92,497
23.	पंजाब	2,11,940	2,00,299
24.	पांण्डिचेरी	9,530	9,284
25.	राजस्थान	1,62,170	1,60,569
26.	सिक्किम	4,700	3,757
27.	तमिलनाडु	4,39,645	4,34,522
28.	त्रिपुरा	13,950	11,997
29.	उत्तर प्रदेश	5,93,760	5,98,255
30.	पश्चिम बंगाल	4,84,370	4,89,485
31.	लक्षद्वीप	360	अप्राप्य
		54,67,212	54,00,272

अनुपत्र—4

वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सीमेंट का आवंटन, जिसमें तदर्थ अतिरिक्त आवंटन एवं सिचाई तथा विद्युत् कार्यों के लिये आवंटन शामिल है, तथा इनके प्रति प्रेषित की गई मात्रा

(आंकड़े हजार मी० टन में —अनंतिम)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1983-84 में किया गया आवंटन	1983-84 में किया गया प्रेषण	प्रतिशतता
उत्तर :				
1.	चंडीगढ़	76	43	57
2.	दिल्ली	301	282	94
3.	हरियाणा	444	340	77
4.	हिमाचल प्रदेश	123	108	88
5.	जम्मू और कश्मीर	190	181	95
6.	पंजाब	603	490	81
7.	राजस्थान	600	520	87
8.	उत्तर प्रदेश	1589	1234	78
	योग उत्तरी क्षेत्र :	3926	3198	81
पूर्व :				
9.	असम	236	208	88
10.	अरुणाचल प्रदेश	60	28	46
11.	बिहार	931	628	67
12.	मेघालय	87	72	83
13.	मिजोरम	31	12	39
14.	मणिपुर	66	37	56
15.	नागालैंड	66	44	66
16.	उड़ीसा	503	459	91
17.	सिक्किम	59	23	39
18.	त्रिपुरा	62	31	50
19.	पश्चिम बंगाल	805	630	78
	योग पूर्वी क्षेत्र :	2906	2172	75

(आंकड़े हज़ार मी० टन में—अनंतिम)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1983–84 में किया गया आवंटन	1983–84 में किया गया प्रेषण	प्रतिशतता
पश्चिमी क्षेत्र :				
20.	दादरा व नागर हवेली	13	8	62
21.	गोआ, दमण व दीव	108	47	44
22.	गुजरात	1120	1064	95
23.	मध्य प्रदेश	835	848	102
24.	महाराष्ट्र	1596	1118	70
	योग पश्चिमी क्षेत्र :	3672	3085	84
दक्षिण :				
25.	आन्ध्र प्रदेश	966	720	75
26.	अंडमान व निकोबार	22	12	55
27.	कर्णाटक	801	566	70
28.	केरल	495	425	86
29.	लक्षद्वीप	5	4	80
30.	पांडिचेरी	27	26	96
31.	तमिल नाडु	886	785	89
	योग दक्षिण क्षेत्र :	3202	2538	79
	कुल योग :	13706	10993	80

1983–84 के दौरान निम्नांकित राज्यों से प्राप्त लेवी सीमेंट की तिमाही मांग

क्रम सं०	राज्य का नाम	मौजूदा तिमाही विंटन तिमाही 11/83 से	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मांगी गई मात्रा
1	2	3	4
1.	मिजोरम	6,900	10,000
2.	लक्षद्वीप	1,200	2,000

1	2	3	4
3.	केरल	67,000	2,50,000
4.	गुजरात	1,30,900	7,00,000
5.	हरियाणा	53,200	1,00,000
6.	मध्य प्रदेश	1,13,700	4,50,000
7.	नागालैंड	15,000	17,000
8.	उड़ीसा	61,800	1,01,800

वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान राज्यों को सीमेंट का किया गया अतिरिक्त/तदर्थ आवंटन :

1. हरियाणा .		5000	तिमाही 1-1/83 में बाढ़ सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन ।
2. राजस्थान .	(1)	5000	तिमाही II/83 में सूखा सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन ।
	(2)	5000	तिमाही III/83 में सूखा सहायता ? के लिए अतिरिक्त आवंटन ।
3. असम .	(1)	6000	नये जिले तथा उप-प्रभाग के बनाये जाने के परिणामस्वरूप तिमाही IV/83 में भवनों के लिए अतिरिक्त आवंटन ।
	(2)	6000	नये जिले तथा उप-प्रभाग के बनाये जाने के परिणामस्वरूप तिमाही 1/84 में भवनों के लिए अतिरिक्क आवंटन ।
4. मणिपुर .	(1)	2000	7वें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भवनों के लिए तिमाही III/83 में किया गया अतिरिक्त आवंटन ।
	(2)	1000	7वें वित्त आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भवनों के लिए तिमाही IV/83 में किया गया अतिरिक्त आवंटन ।
5. गुजरात .	(1)	20000	तिमाही III/83 में तूफान सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन ।
	(2)	20000	तिमाही IV/83 में तूफान सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटम ।

	(3)	15000	तिमाही 1/84 में तूफान सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन।
6. महाराष्ट्र .	(1)	3000	तिमाही III/83 में बाढ़-सहायता कार्यों के लिए अतिरिक्त आवंटन।
	(2)	10000	तिमाही IV/83 में बाढ़ सहायता कार्यों के लिए अतिरिक्त आवंटन।
7. आंध्रप्रदेश .	(1)	5000	तिमाही IV/83 में बाढ़ सहायता कार्य के लिए अतिरिक्त आवंटन।
	(2)	30000	तिमाही 1/84 में बाढ़ सहायता कार्य के लिए अतिरक्त आवंटन।

अनुपत्र—5

1983-84 के लिए नियंत्रित कपड़े हेतु राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से मिली मांग का ब्यौरा, जैसाकि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा दिया गया है। (1500 मीटर की की मानक गांठों में) :

राज्य का नाम	धोती	साड़ी	लांग क्लाथ	योग
आंध्र प्रदेश . . .	8,426	4,038	7,414	19,878
असम . . .	2,074	9,78	2983	6,035
बिहार . . .	44,223	10,544	5,614	30,381
गुजरात . . .	4,455	2,880	1,650	8,985
हरियाणा . . .	1,224	शून्य	467	1,691
हिमाचल प्रदेश . . .	——	———	——	——
जम्मू व कश्मीर . .	15	20	1,830	1,865
कर्णाटक . . .	5,336	1,480	1916	8·732
केरल . . .	4,450	1,160	3,065	8,675
मध्य प्रदेश . . .	6,160	1,750	2,350	10,260
महाराष्ट्र . . .	21,300	2,300	2,070	25,670
मणिपुर . . .	72	112	90	274
मेघालय . . .	18	82	68	168
नागालैंड . . .	76	24	84	184
उड़ीसा . . .	2,800	2,800	630	6,230
पंजाब . . .	314	190	1,089	1,593
राजस्थान . . .	6,100	--	4046	10,146

राज्य का नाम	धोती	साड़ी	लांग क्लाथ	योग
सिक्किम . . .	22	26	42	90
तमिलनाडु . . .	5,055	4,005	3,005	12,065
त्रिपुरा . . .	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश . . .	17,190	10,380	8,250	35,820
पश्चिम बंगाल . .	5,000	3,400	4,300	12,700
संघ शासित क्षेत्र :				
अंडमान व निकोबार द्वीप	13	18	18	49
अरुणाचल प्रदेश . .	14	12	30	56
चंडीगढ़ . . .	40	4	50	94
दादरा व नगर हवेली	18	---	18	36
दिल्ली . . .	1,298	314	520	2,132
गोवा दमण व दीव . .	90	72	114	276
लक्षद्वीप . . .	9	8	4	21
मिजोरम . . .	395	400	440	1,235
पांडिचेरी	44	12	65	121
योग :	1,06,231	47,009	52,222	2,50,462

1983-84 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित नियन्त्रित कपड़े की मात्रा.
(1500 वर्ग मीटर की मानक गांठों में)

क्र० सं० राज्य का नाम	धोती	साड़ी	लांग क्लाथ	पोलीएस्टर काटन ब्लेंडिड शार्टिंग	योग
1. आंध्रप्रदेश	8345.50	3645.25	2838.75	436.00	15255.50
2. असम	1990.75	484.25	1159.50	156.75	1391.25
3. बिहार	5519.00	3083.75	2051.50	622.00	11276.25
4. गुजरात	8180.50	3291.00	1873.25	263.25	13608.00
5. हरियाणा	1057.00	—	290.00	101.75	1448.75
6. हिमाचल प्रदेश	2.00	—	681.75	13.25	697.00
7. जम्मू व काश्मीर	55.00	22.00	401.25	47.00	523.25
8. कर्णाटक	4211.25	2099.00	889.00	290.00	7489.25

क्र० सं० राज्य का नाम	धोती	साड़ी	लांग क्लाथ	पोलीएस्टर काटन ब्लेंडिड शार्टिंग	योग
9. केरल	3275.00	1711.50	1082.75	190.25	6259.50
10. मध्यप्रदेश	5335.25	1223.50	1952.50	296.25	8807.50
11. महाराष्ट्र	5220.25	1254.00	3011.50	537.25	10023.00
12. मणिपुर	51.75	20.00	31.50	10.00	113.25
13. मेघालय	40.00	15.00	10.00	10.00	75.00
14. नागालैंड	43.75	6.75	200.00	6.75	257.25
15. उड़ीसा	5126.75	3068.75	2226.00	194.25	10615.75
16. पंजाब	142.50	100.00	179.25	65.00	2099.75
17. राजस्थान	5494.75	81.00	3603.75	264.00	9443.50
18. सिक्किम	38.00	6.00	16.75	3.00	63.75
19. तमिलनाडु	5998.75	5026.00	1554.00	373.50	12952.25
20. त्रिपुरा	—	—	—	15.00	15.00
21. उत्तर प्रदेश	18093.50	12018.25	14284.50	934.75	45331.00
22. पश्चिम बंगाल	6471.25	3746.50	3650.25	427.25	14301.25
23. अंडमान	27.75	19.25	2.00	1.25	50.25
24. अरुणाचल प्रदेश	8.25	9.00	4.00	3.50	60.75
25. चंडीगढ़	42.00	5.00	22.25	3.25	72.50
26. दादर व नगर हवेली	10.00	3.00	13.25	1.00	27.25
27. दिल्ली	6080.50	667.75	1927.25	50.00	18715.50
28. गोवा	136.75	25.00	10.00	9.00	190.75
29. लक्षद्वीप	12.00	8.00	2.00	1.00	23.00
30. मिजोरम	343.00	187.00	51.50	31.50	585.00
31. पांडिचेरी	51.00	17.75	5.00	4.00	77.75
योग :	994030.75	41829.50	45692.25	5334.75	184259.75

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयूबबेग: मान्यवर उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि खाद्य तेलों की मांग के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने उपलब्धि, मांग, इस्तेमाल का एप्रोच बगैरह हितों को ध्यान में रखते हुए पामोलीन तेल की मांग रखी । हमारा यह जानना भी आवश्यक है कि गुजरात खुद मूंगफली का उत्पादक राज्य है और तेल किफायत से प्राप्त हो, इस प्रश्न पर गुजरात अधिक सम्वेदनशील भी रहा है । गुजरात को 1981-82, 82-83, मई, 84 तक में

मांगों के सामने अनुक्रमांक से 41 परसेंट, 49 परसेंट तथा 50 परसेंट मांगें संतुष्ट की हैं। नवम्बर, 83 से मई, 84 तक 49,500 टन की मांग के सामने सिर्फ 38,300 टन का एलाटमेंट किया है। लेकिन यह मांग भी संतुष्ट नहीं हो पाई क्योंकि एलाट किया हुआ कोटा एस टी सी के पास उपलब्ध नहीं था। इसलिये सिर्फ 27,581 टन तेल प्राप्त हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि एस टी सी के पास कोटा उपलब्ध न होने के कारण क्या हैं? और यह खामियां दूर करने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे? क्या राज्य सरकार की मांग के अनुसार प्रतिमाह 11 हजार मीट्रिक टन की उपलब्धि कराई जा सकेगी? सस्ते दाम की दुकानों के 323 लाख लोग कार्ड होल्डर्स हैं जिनके लिये प्रति व्यक्ति 500 ग्राम मासिक के हिसाब से 16,150 टन चावल होता है। सरकार ने 25 हजार टन चावल की मांग की थी। किन्तु नवम्बर, 82 से प्रतिमाह 7,500 टन चावल प्राप्त हुआ है। क्या यह कोटा बढ़ा कर मांग पूरी करने की दिशा में कदम किये जायेंगे? और अगर लिये जायेंगे तो कब? राज्य सरकार की मांग के अनुसार क्या प्रतिमाह 15 हजार टन चावल भी उपलब्ध करा सकेंगे? आयल कम्पनियों के द्वारा कैरोसीन आयल की वार्षिक मांग की दर 10 परसेंट बताई गई है? जबकि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ 5 परसेंट जितना नगण्य बढ़ावा राज्य के कोटे में किया। मान्यवर, क्या अधिक 5 परसेंट कोटा एलाट करने की दिशा में कुछ सोचा गया है? और क्या राज्य की इस मांग को इस समयावधि में संतुष्ट किया जायेगा? क्या मांग और विकास दर को मापदण्ड रख कर एलाटमेंट करने की दिशा में सोचा जा रहा है?

श्री उपसभापति : एक सवाल आपने पूछ लिया है?

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयूबबेग : यह इसी से संबंधित है।

श्री उपसभापति : दूसरे सवाल में पूछ लेना।

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयूबबेग अंकुशित कपड़े की वितरण व्यवस्था के स्थापन के लिये केन्द्रीय सरकार ने 15-8-83 से योजना को अमल करने को कहा था। गुजरात में राज्य कोआपरेटिव फेडरेशन तथा राज्य नागरिक पूर्वठा निगम राज्य के विभिन्न जिलों में काम कर रहा है। अंकुशित कपड़े के लिए सरकार के यह दो नोमिनी हैं। फिर भी अंकुशित पोलियस्टर कपड़ा सिर्फ फेडरेशन को दिया जाता है और एन टी सी बम्बई की ओर से निगम को वितरित नहीं किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में गुजरात की ओर से कोई मांग हुई है और हुई है तो कब और उस पर क्या निर्णय लिया गया है?

श्री भागवत झा आजाद : इतना बड़ा प्रश्न है मैं भी लिख कर उत्तर देना चाहता था लेकिन फिर भी जो कुछ मैं समझ पाया हूं और लिख पाया हूं उसके अनुसार जवाब देने की कोशिश करता हूं। पहली बात यह है कि उन्होंने मांग के संबंध में राज्य सरकार के विभिन्न आर्टीकल के बारे में कहा है कि मांग इतनी राज्य सरकार ने की है और उसके अनुपात में इतनी दी है तो क्या उसे पूरा करेंगे तो मैंने अनेकों बार इस सदन में कहा है और केन्द्रीय सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों को चावल, गेहूं, चीनी, कैरोसीन आयल, कोयला, कपड़ा ये सात चीजें हैं, देती है। वह जो आती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सारी मांग जो राज्य सरकार करे उतनी हम दे दें। हमारा देना एक पूरक है। मुख्य काम तो राज्य सरकारों का स्वयं इन सामानों को उपलब्ध कराना है। हम उनकी सहायता के लिए पूरक रूप से आते हैं, सप्लीमेन्टरी रूप में आते हैं। इसलिए राज्य सरकारें हर महीने अपनी मांगों को इतना अधिक ऊंचा रखती हैं कि अगर मैं उनकी एक दो महीनों की मांगों को ही पूरा करूं तो बाकी

समूचे साल के लिए कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा। केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति का अर्थ है, नं० 1, केन्द्रीय सरकार के पास कितना प्रोक्योर किया हुआ है और वह प्राक्योरमेन्ट भी आप जानते हैं कि राज्य सरकारें भेजती हैं। हमारे पास अपनी खेती नहीं है। सब राज्य सरकारों से आता है। इसलिए पहली बात तो यह है कि हमारे पास कितना खाद्यान्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकारों ने स्वयं इस संबंध में क्या किया है। नं० 3 प्रश्न यह है कि बाजार में उपलब्धि क्या है। अगर इस बात को समझ लिया जाय और भारत सरकार की नीति को समझ लिया जाय तो यह प्रश्न बार-बार पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या आप राज्य सरकारों की मांगों को पूरा करेंगे ? अगर सीधा-सा मैं यह कहूं कि नहीं, तो यह जरा कड़वी बात हो जाएगी। इस वजह से मैंने मीठा-सा उत्तर दिया था कि हमारा पूरक का रोल है। उसके अनुसार मैं राज्य सरकार की 25 हजार टन की प्रत्येक महीने की मांगें को नहीं दे सकता हूं। किन्तु गेहूं वे जितना मांगें उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन चावल हमारे देश में आबादी के अनुसार कम हो रहा है और अगर हम कहीं से बाहर से मंगाते हैं तो जिस प्रकार का चावल देशवासी खाते हैं वह थाइलैंड से कुछ आ सकता है, कुछ बर्मा से आ सकता है। वह हम मंगाते हैं। बाहर में और कही यह उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने युवा सदस्य से कि वे अपने प्रान्त को समझायें कि देश वह खाये जो देश पैदा करता है। देश गेहूं पैदा करता है, देश गेहूं खाये। मैं विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि मैंने वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन से और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से यह मालूम कर लिया है, सर्टिफिकेट ले लिया है कि गेहूं खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है तुलना में चावल के। गेहूं खाना चावल की तुलना में बहुत अच्छा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि देश चावल के बजाय गेहूं खाये। मैं उनको 7 हजार 5 सौ टन दे रहा हूं। क्षमा करें, मेरे पास इस वक्त देश का हायस्ट स्टाक है। वह 22 मिलियन टन का है। लेकिन चावल का बहुत कम है। वह कितना है, यह मैं नहीं बताऊंगा। इसलिए हमको पूरा इंतजाम करना है, साल भर के लिए इंतजाम करना है। इसलिए बन्धुवर, अपने राज्यों को कहिये कि स्वास्थ्य के लिए भी और अदरवाइज देश के लिए भी गेहूं अधिक खायें। जो राज्य गेहूं अधिक मांगते हैं उनको मैं जितना वे चाहते हैं उतना देने के लिए तैयार हूं।

जहां तक तेल का संबंध है, भला कहिये, गुजरात जैसा राज्य कहता है कि हमको अधिक तेल दो। जो राज्य सबसे बड़ा ग्राउन्ड आयल का प्रोड्यूसर देश में है वह यह बात कहता है। लेकिन जब समय पड़ता है तो बाउन्डरी पर तेल की मांग पर इनफारमल कुछ हो जाता है तो बम्बई चिल्लाता है। हमको सम्पूर्ण देश को दृष्टि में रखकर सोचना पड़ता है। आज सम्पूर्ण देश की तेल की आवश्यकता 45 लाख टन है और हम सिर्फ 33 लाख टन पैदा करते है। 12 लाख टन का घाटा है। यह हम बाहर से 7–8 करोड़ के अन्दाज का मंगाते हैं। हर महीने जिस राज्य की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम नहीं दे सकते हैं। जिस राज्य को जितने परिमाण में हम दे सकते है वह देते हैं। हम ने गुजरात की तेल की मांग को काफी दृष्टि से देखा है। मगर जो कोटा वे भेजते हैं, जो एमाउन्ट वे भेजते है वह तो हमारे पास नहीं है। हम बराबर समय-समय पर रिव्यू करते है। उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे।

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयुबबेग : एस० टी० सी० के बारे मे आपने क्या किया है ?

श्री भागवत झा 'आजाद' : मैंने आपका यह प्रश्न नोट कर रखा है। मीठी बात मैं पहले कह रहा हूं, कड़वी बात बाद में कहूंगा। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केरोसीन और कपड़े के संबंध में हमने आपको आंकड़े दिये हैं। यह जो विस्तृत प्रश्न आपने किया है उसको आप कष्ट करके कृपया उन मंत्रालय से पूछिये जिनका संबंध केरोसीन से है, कोयले से है, कपड़े से है। कपड़े के बारे में कोआपरेटिव को दे रहे हैं। निगम को क्यों नहीं देते हैं, यह मुझे मालूम नहीं। यह प्रश्न आप कामर्स मिनिस्टर से पूछिये।

अंतिम प्रश्न आपने एस० टी० सी० के बारे में पूछा है। अब मैं एस० टी० सी० की दृष्टि से बात करूंगा मुझे इस बात का दुख है जो आपने कहा कि जो अलोकेशन दिया गया था उसके अनुसार आपको नही मिला। यह एस० टी० सी० को देना चाहिए था। मैं यह देखनेकी कोशिश करूंगा कि जो अलाटमेन्ट हम करते हैं, मंत्रालय से, जो पास्ट में नहीं हुआ, भविष्य में ऐसा न हो, ऐसी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

श्री मीर्जा इर्शादबेग ऐयुबबेग : मैं पूछना चाहता हूं कि मांगों के अनुपात में तेल की अपर्याप्तता अधिक है। तो क्या इसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोची गई है? यदि हां तो वह क्या है? आज तक हमने कितना तेल आयात किया और उस पर कितना फारेन एक्सचेंज खर्च किया है तथा इस संबंध में, वनस्पति घी के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कोई सुझाव है ?

श्री भागवत झा 'आजाद' : उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया पिछले वर्षों में अपने देश में आबादी की वृद्धि के कारण चावल भी अधिक चाहिए; गेहूं भी अधिक चाहिए, तेल भी अधिक चाहिए और दाल भी अधिक चाहिए। इसलिये हम किसानों को हर चीज का उत्पादन बढ़ाने के लिये इन्सेटिव दे रहे है और इस इन्सेटिव में वे उसको चुनते हैं यह हमारा सौभाग्य नहीं है। आयल सीड्स देश में, पिछले दशक में, पिछले दस वर्षों में इसकी आलमोस्ट बराबर रही है, पर जाती ही नहीं है। वे चावल का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं और चीजों का उत्पादन करते हैं। इसके कारण हमको लगभग 10–12 लाख टन का घाटा रहता है। इसलिए हम इसको बाहर से इसी अनुपात से मंगाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारी कमी है वह इससे पूरी करें। वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जो आपने पूछा उसका यही उपाय है कि उत्तर भारत में अधिकांश लोग वनस्पति खाते हैं, इसलिये हम वनस्पति का उत्पादन करते हैं। आपने पूछा कि इसको बढ़ाने की क्या कोई स्कीम है तो इसके लिये हमारी स्कीम है। इस महीने में वनस्पति आयल जो पहले हम 60 प्रतिशत फिक्स प्राइस पर देते थे और 20 प्रतिशत कमर्शियल प्राइस पर देते थे, इस महीने से इसको 5 प्रतिशत बढ़ाया है और जरूरत पड़ने के बाद और बढ़ायेंगे ताकि वनस्पति और अधिक मात्रा मे मिल सके। इसको बढ़ाने का उपाय यह है कि कृषि मंत्रालय, हमारे देश म जो ऐसे बहुत से भाग हैं जैसा कि मध्य प्रदेश है, वहां पर सोयाबीन उगाने और इसी तरह के तीन-चार हम काम कर रहे हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत तेल की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

SHRI JAGDISH DESAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, as far as I remember, the monthly quota of rice to Maharashtra up to 1982 May was 75,000 tonnes, and thereafter the quota has been reduced, and today it is 25,000 tonnes per month. What are the reasons for reducing drastically the quota to Maharashtra?

Mr. Deputy Chairman, Sir, as far as Maharashtra is concerned and the Bombay city is concened, a large population of South Indians is putting up there. The Konkan people take only rice. For that purpose I would like the hon. Minister whether the monthly

quota to Maharashtra will be restored to 75,000 tonnes, whether the quota of rice to Maharashtra will be restored to what it was in 1981-82.

Secondly, Sir, the price of the edible oil is sky-rocketing. Today the price of groundnut oil is Rs. 19 per kilo. Never in the history of India had it gone to sch an extent. I would like the hon. Minister to tell us whether edible oil in sufficient quanties would be supplied to different States so that the price of oil can be kept under control.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I have replied the questions generally which have been asked and about only one State, Gujarat, particularly he has asked and I have replied. If the hon. Member expects metro reply for all the States individually with facts and figures, they have to give separate notice. *(Interruptions)*.

SHRI SURESH KALMADI: He should answer it. He cannot get away with it.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, my reply about allotment of rice and other things is for all States. Abcut what the hon. Member remembers and tells me about cutting down from 75,000 tonnes per months, earlier when there was less population and more rice, rice was given more than what the State wanted. A time came in 1980 when we had to take note according to the demand and supply position and rationalise it. How do we rationalise it? We saw our allotment and the offtake by the State Governments. In the light of this re rationnalised it. Some times the hon. Members referred it as "cutting down". From that rationalisation, Sir I have already told the hon. Members there is not enough production of rice in the contry. Therefore, we have to allot accordingly to all the States.

Secondly, I would request the hon. Members to persuade the Government of Maherashtra to procure rice where it is available in some districts which should have been procured. When the Chief Minister discussed the matter with me I quoted him a district and he said that that district was producing only boiled rice. I told him I am prepared to take the boiled rice because there are States like Kerala and West Bengal who wanted boiled rice. Therefore, the hon. Members should not shoot at me instead they should ask their State Government which is primarily responsible to manage the production in their fields and farms. I am playing only supplementary role and in that role I humbly submit, I have done much better than the States themselves have done.

श्रीमती प्रेमिलाबाई दाजीसाहेब चव्हाण : उपसभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि चाहे महाराष्ट्र हो या और कोई जगह हो जिस जगह जो चीजें ज्यादा स्तर पर पैदा होती हैं वहीं उनको उत्तेजन देकर सहूलियतें देकर उस चीज का वहीं पर वितरण के लिये इन्तजाम किया जाये। हमारे महाराष्ट्र में राइस बहुत अच्छी प्रकार का होता है लेकिन काश्तकारों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है। जहां होता है वहां बारिश बहुत होती है इसलिये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिये बहुत तकलीफ होती है। अभी मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि तेल के बीजों के लिये जैसे कि अभी कहा गया है कि हम स्टेट्स को सुविधायें देंगे और बीज मुफ्त में देंगे इसके लिये क्या कुछ प्रस्ताव है ? मन्त्री महोदय क्या इस पर गौर करेंगे। जहां की चीज हो वहीं देनी चाहिये और इसके लिये प्रोत्साहन भी देना चाहिये।

श्री भागवत झा 'आजाद' : अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि जहां जो पैदा होता है वहीं रखा जाये तब कहीं से कोई कोयला नहीं पहुंचेगा, कहीं से कपड़ा नहीं पहुंचेगा, तब फिर चावल मांगने की बात नहीं रहेगी, तब गेहू मांगने की बात नहीं रहेगी, सम्पूर्ण देश में जो जहां पैदा होता है

साधारणतया हम लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि सरकारों से निवेदन करके उनकी रजामन्दी से जहां जो सरप्लस है कुछ अधिक है वह लेते हैं और जहां कमी है वहां देते हैं वरन् केरल और पश्चिमी बंगाल जो बराबर डेफिसिट स्टेट्स हैं बिना अन्न के मर जाएं। लेकिन बहन जी ने ठीक कहा कि महाराष्ट्र में चावल होता है (व्यवधान) बहुत कम किस तुलना में, आखिर इसकी परिभाषा क्या है। प्रश्न यह है कि जो भी होता है जो राज्य केन्द्र से मांगता है तो केन्द्र की भी अपने आप से खेतीबाड़ी नहीं है हम तो राज्य सरकारों से लेते हैं। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि राज्य सरकारें स्वयं पैदा करें और प्रचार करें और फिर जो मेरे पास चिट होगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक उनको देंगे। तीसरी बात आपने तेल पैदा करने के लिये और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कही। कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत बहुत सी योजनायें हैं जो कृषि मंत्री बतायेंगे जहां इस चीज पर विचार किया जाता है और प्रोत्साहन दिया जाता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Upendra.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Sir, yesterday I had an occasion to request the Hon'ble Minister for allocation of additional quantities of rice for Andhra Pradesh. But he expressed his inability to comply with. In regard to edible oils and cement also there is a great shortfall. As against the demand, the allocation was not even 50 per cent in the case of edible oil and in the case of cement 75 per cent.

Will the Hon'ble Minister assure us at least in case of edible oil and cement he will fulfil the demand?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, so far as rice is concerned, I must say I thank the State of Andhra Pradesh that they produce rice in surplus and they contribute every year regularly to the Central kitty and it is impossible for me.....

SHRI T. CHANDRASHEKHAR REDDY: You should congratulate Andhra Pradesh.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: That is the first thing I said. I congratulate the State of Andhra Pradesh that they produce rice in surplus. They keep a major part for themselves naturally and give us at least five lakh tonnes per year—ten lakh tonnes I give them back—in the allotment to give to the other States. So far as oil is concerned, I find that we have allocated up to August 1984, 81,700 tonnes. Their demand has been almost double. As I gave the reasons it would not be possible for us to give more, but we are trying, especially this year, to have more and more of oil. It depends upon the price in the international market; it depends upon the foreign exchange that is available. Therefore, with this constraint I will do my best; I will do what I can to the State in the case of oil. So far as cement is concerned, as I said, I am sorry, I can only give the information I have. Beyond that for cement, for coal, for cotton, you have to ask for detailed answer from the Ministry concerned.

श्री चतुरानन मिश्र: मन्त्री महोदय ने कहा कि केन्द्र से जो आपूर्ति की जाती है वह पूरक के रूप में की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई निर्धारित अनुपात है कि कितना केन्द्र देगा, कितना राज्य करेगा और कितना मार्केट पर भरोसा किया जायेगा? अगर ऐसा नहीं है, कोई निर्धारित अनुपात, तो क्या एक राष्ट्रीय कन्सेन्सस बनाकर, आबादी, कन्जम्पशन एण्ड अवेलेबिलिटी आफ द आर्टिकिल इन तीनों को ध्यान में रखकर, यह तय किया जायेगा? ताकि सबकी रिस्पांसिबिलिटी बंट जायेगी और

उसका जहां पर फैल्योर होगा, वहां उसको पकड़ा जायेगा। तो क्या यह संभव है, क्या इस पर मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या स्थिति है ?

श्री भागवत झा 'आजाद' : यह ठीक है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा इस सम्पूर्ण खाद्य नीति में पूरक रोल है। किस प्रकार से निर्धारित करते हैं यह मैंने कहा है और फिर दोहराना चाहता हूं कि वह इस प्रकार निर्भर करती है। हर महीने चूंकि यह संभव नहीं है, जिस तरह अन्न की उपलब्धि हमारे पास में है, जिस तरह राज्यों के पास अपनी उपलब्धि है, अतः इनको देख करके कोई लम्बे अर्थ में पूरे साल के लिये कोई राष्ट्रीय मत बनाकर निर्धारित किया जाये यह संभव नहीं है। एडवाइजरी कमेटी में जहां हम सारे खाद्य मंत्री रहते हैं, मैं भी रहता हूं इन बातों पर विचार हुआ था। लेकिन इतने वर्षों से जो चली आ रही नीति है, करने की, वह यह है कि हम हर महीने राज्य सरकार की मांगों को देखकर यह विचार करते हैं कि क्या हमारे पास स्वयं प्रोक्योरमेंट का, जो राज्य सरकारों ने खुद दिया है हम घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं, अगर कोई नीति बने तो उसके लिये घटाने-बढ़ाने का प्रोपोजल होना चाहिये क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो साल में एक बार होता है, तो इस कठिनाई को देखते हुये राज्य सरकार के पास स्वयं क्या है और साधारणतया, उदाहरण के लिये मान लीजिये कि कभी 12 परसेंट प्रोक्योरमेंट हुआ, कभी 13 परसेंट प्रोक्योरमेंट हुआ तो इस तरह प्रोक्योरमेंट होता है, टोटल गेहूं और चावल को मिलाकर तो इसको देखते हुये हर महीने में, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुये एलाटमेंट करते हैं। यह संभव नहीं है कि हम इस संबंध में कोई दूसरी नीति अख्तियार करें, बना पाएं। राज्य सरकारों से भी राय ली गयी है, उनकी भी इस सम्बन्ध में कठिनाई है, जो स्वयं इस काम को करते हैं वे भी नहीं बता सकते हैं। इसलिये अभी जो नीति है चल रही है यह नीति सफल रही है और इसको चलने देना चाहिये।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next question.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, on a point of order. Have you got powers to change "Kar" into "Matto"? The second question is in the name of Ghulam Rasool Kar. He is not here. Have you got powers to change "Kar" into "Matto"?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. Next question.

*242. [*The questionnair (Shri Ghulam Rasool Kar) was absent. For answer vide col. 57-58 infra*].

Weigh Bridges at Railway Stations

*243. DR. (SHRIMATI NAJMA HEPTULLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether weigh bridges have been installed at various railway stations to assess the loaded/unloaded quantity of coal;

(b) if so, what are the names of the stations where these have been installed; and

(c) if answer to part (a) above be the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) to (c) A statement is laid on the Table of Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. Weigh bridges have been provided at major railway stations keeping in view the nature and quantum of traffic handled at those stations and the operational feasibility for weighment.

(b) Requisite information is given in the Annexure.

(c) Does not arise.